स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 2114 /निर्माण–8/2021–22, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड डीडीहाट/पिथौरागढ़/घनसाली/चम्पावत/कोटद्वार।

विषयः– **ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 11 नई ग्रामीण सडक निर्माण योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध मे।**

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 564/XII-3/2021/83(03)/2021 दिनाक 13.10.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 11 नई ग्रामीण सडक योजना के स्टेज–1 के कार्यो की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित एवं शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि रू– 2338.06 लाख के सापेक्ष स्टेज–1 के कार्यो के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने एवं सर्वेक्षण हेतु संलग्नक के कॉलम 2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम 6 में उल्लिखित विवरण कुल रू– **27.51 लाख (रूपये सत्ताईस लाख इकावन हजार मात्र)** धनराशि को संलग्न विवरण के अनुरूप निम्न शर्तो के अधीन आवटन किया जाता है:–

1– विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847/XXVII(1) /2016 दिनाक 26.07.2016 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों मे धनराशि आहरित एव व्यय की जायेगी।

4– निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनूसीची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षरण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

5– बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

6– आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।

7– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यो में ही व्यय किया जाय, जिन योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

8– निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियो से कराये जाने वाले कार्यो की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1638/XXX-1-12(25)2011, दिनांक 08.12.2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की

वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

9- शासनादेश संख्या-445/XII-3/2021/87(07)/2019 दिनांक 19.07.2021 का अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। 03 माह में पूर्ण रूप से विवाद रहित मोटर मार्गो की डी0पी0आर0 नाबार्ड से वित्त पोषित हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-03-ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज-53-बृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र सं- 60/XXVII-4/2021 दिनांक 12.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल स्थित भीमताल।
5- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी/पिथौरागढ़ को इस आशय से कि प्रपत्र बी0एम0-4 पर संकलित व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6- गार्ड फाईल।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

शासनादेश संख्या-564 /XII-3/2021/83(03)/2021, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	कुल लागत धनराशि (लाख में)	सर्वेक्षण एवं DPR गठन हेतु अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 डीडीहाट के अन्तर्गत सानदेव–तुर्गोली मोटर मार्ग में मुख्य मोटर मार्ग से तल्ला चुपडाखेत तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	डीडीहाट	1.50	181.21	2.25
2	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 डीडीहाट के अनतर्गत नाघर से तवाबगड (हुनेरा) तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	डीडीहाट	1.20	128.60	1.80
3	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत मलान से मितडा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	डीडीहाट	3.00	365.70	4.50
4	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत ओगला भागीचौरा सडक के कालसिन मोड से मझेडा देवल तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	डीडीहाट	2.00	247.30	3.00
5	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत कोटली से अमाली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	डीडीहाट	2.00	216.00	3.00
6	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 मूनाकोट के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग में बीसाबजेड से सुप पोखरा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	पिथौरागढ	2.00	226.65	3.00
7	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 मूनाकोट के अन्तर्गत कठखोला से शिवमंदिर, तल्ली कटियानी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	पिथौरागढ	2.00	208.20	3.00
8	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 विण के अन्तर्गत खोलगाडा नौला से कनारी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	पिथौरागढ	1.00	146.40	1.50

9	जनपद टिहरी गढवाल के वि0ख0 कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा–जागधार मोटर मार्ग के कि0मी0 27 स्थान जुकाणियों/ अरखुण्ड से रिषकोली–अमोली ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	घनसाली	1.50	218.00	2.25
10	जनपद चम्पावत के वि0ख0 पाटी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जौलाडी के सिम्टी से तोली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	चम्पावत	1.60	211.58	0.96
11	जनपद पौडी गढवाल के वि0ख0 दुगड्डा के अन्तर्गत हनुमंती चांडाखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 07 से बोरगांव लिंक रोड का निर्माण	कोटद्वार	1.50	188.42	2.25
		योग–	**19.30**	**2338.06**	**27.51**

(रूपये सत्ताईस लाख इक्कावन हजार मात्र)

(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।